न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 01/2022

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री वरदीशंकर पुत्र श्री जुआरिंग पुरोहित निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. श्री पी.एल.दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.09.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 003669 दिनांक 20.03.2010 क्षेत्रफल 690 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी भूमि नहीं होने के बावजूद भी राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विधिविरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी सं[illegible] के हक में जारी किया गया विक्रय विलेख की भूमि आम रास्ते की भूमि है, जि[illegible] बेचान करने अथवा विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। [illegible] अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पूर्व में भी राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पुराना कब्जा बताकर श्री मनरूप पुत्र श्री [illegible]दान जाति पुरोहित निवासी झाडौली को विक्रय विलेख संख्या 14 दिनांक 10.08.1963 क्षेत्रफल 651.6 वर्गफुट आम रास्ते की भूमि में जारी किया था, जिस पर श्रीमान जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 10/88 में दिनांक 01.09.1989 को निर्णय पारित कर आम रास्ते की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

में जारी विक्रय विलेख को निरस्त किया था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या एक ने श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप जाति पुरोहित निवासी झाडौली को आम रास्ते की भूमि में विक्रय विलेख जारी करने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 18.08.1984 के द्वारा 651.6 वर्गफुट भूमि का विक्रय विलेख हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या दो की माताजी श्रीमती हंजाबाई पत्नि श्री जुआरिंग पुरोहित निवासी झाडौली द्वारा अपने मकान के पास में तथा आम रास्ते में होने तथा हवा, पानी एवं रोशनी प्रभावित होने से श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में पंचायत निगरानी संख्या 11/88 प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 19.09.1989 को निर्णय पारित करते हुए आम रास्ते की भूमि का विक्रय नहीं करने का निर्णय पारित किया गया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त दोनों पंचायत निगरानियों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी श्री नारायणलाल पुरोहित द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1953/90 दायर की गई, जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.02.1998 को प्रस्तुत रिट को डिसमिस कर दिया गया। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को आम रास्ते की भूमि में तथा पूर्व में जारी किए गए विक्रय विलेख निरस्त हो जाने के उपरान्त भी आदेशों की अवहेलना करते हुए पुनः इसी स्थान पर आम रास्ते की भूमि में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए दूषित कार्यवाही कर दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाकर उक्त विक्रय विलेख जारी किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 003669 दिनांक 20.03.2010 क्षेत्रफल 690 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री पी.एल.दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि दिनांक 18.08.1984 को श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप पुरोहित द्वारा नदी पर जाने वाले रास्ते पर अवैध रूप से पट्टा बनवाया था, जिसकी शिकायत अप्रार्थी संख्या दो के परिवार द्वारा ही की गई थी, क्योंकि जो पट्टा श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप पुरोहित ने प्राप्त किया था उस भूमि पर न तो उसका कब्जा था और न ही वह उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी था। अतः नदी पर जाने वाले रास्ते पर उक्त भूमि होने से तथा आगे अन्य कोई निर्माण इत्यादि न होने से पट्टेशुदा भूमि रास्ता भूमि मानते हुए दिनांक 19.09.1989 को श्री नाराणलाल पुत्र श्री मनरूप [illegible] पट्टा निरस्त किया गया था, परन्तु वर्तमान में मौके की स्थिति में परिवर्तन [illegible] चुका है एवं पूरी गली बिल्डिंग लाईन में है। यह है कि पूर्व में निरस्त किया गया पट्टे का [illegible] हिस्सा श्री नारायणलाल के कब्जे में है एवं कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या दो के पट्टे में सम्मिलित है। मौके पर अप्रार्थी संख्या दो का पक्का मकान वर्षों पूर्व बना हुआ है एवं गली पर ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड बना दिया गया है एवं अप्रार्थी संख्या दो के मकान के लगते ग्राम पंचायत द्वारा नाली भी निकाली गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा उसकी पुश्तैनी भूमि में हुए बंटवाड में प्राप्त हुई भूमि एवं पुराने कब्जेशुदा भूमि को मिलाते हुए नियमानुसार पट्टा जारी करवाया गया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो के भाईयों द्वारा आपसी घरेलू झगडे में

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

झूठी शिकायत कर तथा अपने राजनैतिक व अन्य प्रभाव से विकास अधिकारी पर दबाव बनाकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है, जो खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो का मकान हटाने से न तो कोई रास्ता चौडा होता है व उक्त भूमि रास्ते के रूप में किसी भी रूप में उपयोग में आ सकती है बल्कि खांचा भूमि के रूप में हो सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है –

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत रूपए 232/– की राशि लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहा उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क मे पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल:

क इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व पचास वर्षों से अधिक पूर्व मे = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप पुरोहित निवासी झाडौली के पक्ष मे उक्त विवादित भूमि का विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 18.08.1984 के द्वारा 651.6 वर्गफुट भूमि का विक्रय विलेख जारी करने का लिया गया था, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या दो की माताजी श्रीमती हंजाबाई पत्नि श्री जुआरिंग पुरोहित निवासी झाडौली द्वारा उक्त विवादित भूमि अपने मकान के पास एवं आम रास्ते की भूमि होने से इस न्यायालय में पंचायत निगरानी प्रस्तुत की, जो पंचायत निगरानी संख्या 11/88 पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 19.09.1989 को इस न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि को आम रास्ते की भूमि मानते हुए निर्णय पारित किया गया। [illegible] पारित निर्णय दिनांक 19.09.1989 के विरूद्ध श्री नारायणलाल पुत्र श्री [illegible] द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल [illegible] 1953 [illegible] जिसे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 26.02.1998 [illegible] खारिज करते हुए इस न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त वि[illegible] भूमि को रास्ते की भूमि मानकर पूर्व मे ग्राम पंचायत झाडौली के द्वारा पारित प्रस्ताव को खारिज किए जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उसी भूमि का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी किया गया है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नियम विरूद्ध प्रतीत होता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप पुरोहित के हक में ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा आम रास्ते की भूमि पर विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव पारित करने की शिकायत अप्रार्थी संख्या दो के परिवार के द्वारा ही की गई थी एवं अप्रार्थी संख्या दो की माता श्रीमती हंजाबाई पत्नि जुआरिंग पुरोहित निवासी झाडौली द्वारा इसी भूमि को आम रास्ते की भूमि बताकर श्री नारायणलाल पुत्र श्री मनरूप पुरोहित निवासी झाडौली के हक में लिया गया प्रस्ताव को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में पंचायत निगरानी प्रस्तुत की, जिस पर इस न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव आम रास्ते की भूमि का होने से निरस्त किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या दो एवं ग्राम पंचायत झाडौली को यह भलीभांति ज्ञात था कि उक्त विवादित भूमि आम रास्ते की भूमि है, इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है। चूंकि उक्त विवादित पट्टे की भूमि आम रास्ते की भूमि है, जिसे ग्राम पंचायत को बेचान करने एवं विक्रय विलेख जारी करने का विधिक अधिकार नहीं है। अतः ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से विपरीत जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 003669 दिनांक 20.03.2010 क्षेत्रफल 690 वर्गफुट को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 003669 दिनांक 20.03.2010 क्षेत्रफल 690 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner